सतर्कता

सतर्कता संगठन रेलवे प्रबंधन क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसका कार्य यह सुनिश्चित करना है कि सभी स्तरों पर प्रबंधन के निर्णय मौजूदा नियमों और प्रतिक्रियाओं के अनुरूप हों और निष्पक्ष और परदर्शी हों।

सतर्कता चार पहलुओं पर कार्य करता है जो निम्नानुसार हैं:-

निवारक सतर्कता

निवारक सर्तकता के क्षेत्र में, इसका उद्देश्य कर्मचारियों और अधिकारियों के ज्ञान स्तर में सुधार लाना, प्रणाली को अधिक पारदर्शी और विश्वसनीय बनाना, निर्णय लेने में प्रौद्योगिकी इस्तेमाल में वृद्धि करना और भ्रष्टाचार के विरुद्ध आम जनता के बीच अधिक से अधिक जागरूकता पैदा करना है, इस संबंध में किए गए उपाय निम्नानुसार है:-

- सतर्कता बुलेटिन के रूप में शिक्षाप्रद सामग्री वितरित करना
- प्रणाली को और अधिक उत्तरदायी, विश्वसनीय और पारदर्शी बनाने के लिए इसमें संशोधन के लिए सुझाव देना
- प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी बनाने और विवेकाधीन शक्तियों की भूमिका को कम करने के लिए निर्णय लेने में तकनीक का लाभ उठाना
- भ्रष्टाचार को कम करने में आम जनता की भूमिका को शामिल करने के लिए प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के जरिए प्रचार अभियान चलाना।

तत्काल टिकटों की बुकिंग में दुराचार जैसे फ़र्जी नामों तथा विभिन्न आयु वर्गों के नामों से दलाल/एजेंटों द्वारा सीटों को रोकने के संबंध में, तत्काल योजना में संशोधित किए गए हैं, जैसे:-

(i) अग्रिम आरक्षण अवधि (ए.आर.पी.) को एक दिन कम कर दिया गया है। तत्काल टिकटों के समय को सुबह 8.00 बजे से बदलकर 10.00 बजे कर दिया गया है।

(ii) सुबह 10.00 बजे से 12.00 बजे के बीच ई-टिकट एजेंटों और आरटीएसए (रेल यात्रा सेवा एजेंट) के लिए तत्काल टिकट बुकिंग पर प्रतिबंध।

(iii) बुकिंग के लिए मूल पहचान पत्र अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करना।

(iv) आपवादिक स्थिति में ही पूरे भुगतान पर डुप्लीकेट टिकट जारी किए जाएंगें।

(v) कन्फर्म टिकटों के रद्दकरण पर कोई भी धन वापसी नहीं की जाएगी।

(vi) भीड़ को कम करने के लिए अतिरिक्त कोचों में खाली बर्थों पर पहले सामान्य प्रतीक्षा सूची और उसके बाद तत्काल प्रतीक्षा सूची के यात्रियों को एकोमोडेट किया जाना ताकि तत्काल प्रतीक्षा सूची का असामाजिक तत्वों द्वारा दुरूपयोग करने से बचा जा सके।

सर्तकता में भागीदारी:

क) **विज आई:** केन्द्रीय सर्तकता आयोग द्वारा स्थापित 'विज आई' सुविधा और रेलवे की 24 घंटों सर्तकता हेल्पलाइन का उपयोग करने के लिए नागरिकों को प्रोत्साहित करने को विशेष महत्व दिया गया है।

ख) **मोबाइल हेल्पलाइन:** रेल यात्रियों की सुविधा के लिए, 'मोबाइल हेल्पलाइन' की पहल वर्ष 2006 के दौरान आरंभ की गई। सर्तकता अधिकारी मोबाइल हेल्पलाइन सं. 155210 पर पूरे सप्ताह चौबीसों घंटे उपलब्ध रहते है जिसमें रेल यात्री रेलवे कर्मचारियों के विरूद्ध घूस लेने/भ्रष्टाचार की शिकायत दर्ज कर सकते हैं। जहां-कहीं भी संभव होता है वहां उनकी शिकायतों का समाधान करने के लिए कार्रवाई वास्तविक समय के आधार पर की जाती है।

ग) **परामर्श देने के लिए विशेष प्रयास:** क्षेत्रीय/मंडल स्तर पर अधिकारियों को सतर्कता कार्य विधियों/अनुशासिक एवं अपील नियमों पर प्रशिक्षण देने के लिए पाठ्यक्रम आयोजित किए जाते हैं और संगोष्ठियां आयोजित की जाती हैं।

घ) **आईआरवीआईएनएस:** भारतीय रेल सतर्कता सूचना प्रणाली (आईआरवीआईएनएस) का विकास किया गया है और मौजूदा वीएसएस प्रणाली को इससे बदल दिया गया है। भारतीय रेल की सभी इकाइयों को इस नई प्रणाली के अधीन एकीकृत किया जाएगा और यह प्रत्येक मामले की स्थिति की सूचना निर्बाध रूप से मुहैया कराएगी।

ड़) **सतर्कता कार्यशाला:** सभी क्षेत्रीय रेलों/उत्पादन इकाइयों के एसडीजीएम/सीवीओ के लिए दो दिन का सम्मेलन उत्तर रेलवे मुख्यालय, बड़ौदा हाउस, नई दिल्ली में 28 और

29 सितम्बर, 2012 को आयोजित किया गया।

च) प्रशिक्षण: डीजल सिमुलेटर प्रशिक्षण स्कूल, उत्तर रेलवे, तुगलकाबाद में यातायात स्ट्रीम के लिए 16 अप्रैल, 2012 से 20 अप्रैल, 2012 तक और यातायात स्ट्रीम से अलग के लिए 23 अप्रैल, 2012 से 27 अप्रैल, 2012 तक क्षेत्रीय रेलों, उत्पादन इकाइयों एवं रेलवे बोर्ड के जांच निरीक्षकों के अप्रशिक्षित सर्तकता निरीक्षकों के लिए पांच दिनों के दो प्रशिक्षण पाठ्यक्रम आयोजित किए गए थे।

छ) क्षेत्रीय सम्मेलन: विभागीय मामलों के लंबित मामलों को कम करने की दृष्टि से सतर्कता बोर्ड द्वारा समीक्षा करने की नई प्रणाली शुरू की गई है। सभी जोनों एवं उत्पादन इकाइयों को शामिल करने के लिए एक ही स्थान पर पांच-छः रेलवे जोनों के समूह में समीक्षा बैठकें आयोजित की गई हैं।

दंडात्मक सतर्कता:

वर्ष 2011-12 और 2012-13 के दौरान प्राप्त की गई शिकायतें, जांच और किए गए निवारक उपाय निम्नानुसार हैं:

गतिविधि	2011-12	2012-13
जांच की गई शिकायतों की संख्या	2,134	**2,492**
की गई निवारक जांचों की संख्या	25,277	**24,327**
अनुशासन एवं अपील नियम के तहत कार्रवाई की गई	7,568	**6,750**

सर्तकता में सक्रियता:

(क) अधिकारियों से वार्षिक संपत्ति रिटर्न प्राप्त किए जा रहे हैं और कम से कम प्रतिवर्ष 20 प्रतिशत अधिकारियों की वार्षिक संपत्ति रिटर्न की जांच की जाती है तथा इस संबंध में एक रिपोर्ट केंद्रीय सतर्कता आयोग को भेजी जाती है।

(ख) शिकायतें चाहे संसद सदस्य/सदस्य विधान सभा, सीवीसी, आम जनता आदि के माध्यम से प्राप्त हों, प्रत्येक पर शीघ्र कार्रवाई की जाती है और उन पर तार्किक निष्कर्ष निकाला जाता है।

(ग) संवेदनशील सीटों पर नियुक्त अधिकारियों को रोटेशनल आधार पर स्थानान्तरित किया जाता है ताकि कर्मचारियों की सांठगांठ को रोका जा सके।